संख्या- 6/2026/सा0-48 /सात-न्याय-अनु0/प्रको0/2026

प्रेषक,

श्री उदय प्रताप सिंह,

प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी,

न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/

प्रमुख सचिव/सचिव,

उ0प्र0 शासन।

अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग) लखनऊ दिनांक 07 अगस्त, 2026

विषय- मा0 उच्च न्यायालय में लंबित शासकीय वादों के त्वरित निस्तारण हेतु समयान्तर्गत प्रभावी पैरवी किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 08-07-2022 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उक्त शासनादेश के कार्यान्वयन एवं कडाई से अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये है,परन्तु यह पाया गया है कि उक्त शासनादेश संख्या-06/2022/423/सात-न्याय-अनु0प्रको0/2022,दिनांक 08-07-2022 का अभी भी पूर्णरूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मा0 उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की प्रभावी पैरवीकर शीघ्र निस्तारण करने हेतु कतिपय निर्देश जारी किये गये हैं। प्राय: यह देखा जा रहा है कि उक्त शासनादेश का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है जिससे मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न हो रही है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 08-07-2022 के अनुपालन में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

1- मा0 न्यायालय में राज्य सरकार के विरूद्ध वादों के प्रभावी पैरवी करने हेतु नामित नोडल अधिकारी विभाग से सम्बन्धित रिट याचिकाओं के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तत्काल राज्य विधि अधिकारी से समन्वय स्थापित कर नियत तिथि से 03 कार्य दिवस पूर्व प्रतिशपथ पत्र तैयार कराने की कार्यवाहीसुनिश्चित करेंगे।

2- विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव अपने वेबसाइट पर नामित नोडल अधिकारी के टेलीफोन नं0 , ई-मेल आई0डी0 की जानकारी को 03 कार्य दिवस में अद्यतन करेंगे।

3- यदि मा0 न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में पारित किये जाने वाले अंतरिम /स्थगन आदेश/ वादकालीन आदेश (Interlocutoryorder)शासन की नीतियों/नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार हैं तो मा0 न्यायालय के ऐसे आदेशों का अनुपालन, आदेश प्राप्ति के आगामी 03 कार्य दिवस के भीतर सुनिश्चित किया जाये और यदि मा0 न्यायालय के आदेश शासन की नीतियों/नियमों एवं शासनादेशों के प्रतिकूल हैं अथवा कोई विधिक कठिनाई आ रही है तो ऐसी स्थिति में मा0 न्यायालय केनिर्णय के विरूद्ध आदेश की सूचना के 03 कार्य दिवस के भीतर रिट याचिका/रिकाल प्रार्थना पत्र/ पुनर्विचार प्रार्थना पत्रविशेष अपील अथवा विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल कर अंतरिम आदेश/स्थगन आदेश प्राप्त करने की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

4- विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित की जाने वाली अवमानना याचिकाओं में याची द्वारा शासन व विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों को नाम से प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

योजित अवमाननावाद में पक्षकार बनाये गये सम्बन्धित अधिकारी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से जिस आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु अवमाननावाद योजित किया गया है, के अनुपालन की स्थिति अथवा अनुपालन न किये जाने की स्थिति के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए व्यक्तिगत रूप से मा0 न्यायालय में, अवमाननावाद के दाखिल होने की सूचना के 03 कार्य दिवस के भीतर (यदि मा0 न्यायालय का कोई अन्यथा आदेश न हो तो) प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाये।

5- यदि कोई प्रकरण सार्वजनिक अवकाश के आगामी कार्यदिवस पर नियत है, तो ऐसे अवकाश के 02 दिन पूर्व तथा सामान्य कार्य दिवस में प्रत्येक दशा में 03 दिन पूर्व समस्त आवश्यक कार्यवाही/ औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3- अत: समस्त सम्बन्धितों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा-निर्देश तथा उपरोक्त कथित शासनादेश दिनांकित 08-07-2022 का अनिवार्य रूप से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उदय प्रताप सिंह)

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

संख्या-6/2026/सा0-48(1)/सात-न्याय-अनु0प्रको0/2026 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महाधिवक्ता, उ0प्र0।

2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / लखनऊ बेंच, लखनऊ।

3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विकास नागर)

विशेष सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।